आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice Department, Government of Kerala

Self-Employment Assistance for Released Prisoners

केरल का सामाजिक न्याय विभाग जेल से छूटे गरीब लोगों को छोटा स्वरोज़गार शुरू करने के लिए एकमुश्त मदद देता है।

क्या मिल सकता है

15,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान, जो सामाजिक पुनर्वास के हिस्से के रूप में आजीविका के लिए काम शुरू करने में मदद के लिए दिया जाता है।

किसके लिए है

जेल से छूटे वे लोग जो गरीब आर्थिक हालात में रहते हैं और गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक जेल से छूटा हुआ हो और गरीब आर्थिक हालात में रह रहा हो।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सीमा में आता हो।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन संबंधित प्रोबेशन अधिकारी को दें।
2. सामाजिक न्याय विभाग का सुनीति पोर्टल इस योजना को अपनी ऑनलाइन सेवाओं में गिनाता है। पोर्टल पर एक बार पंजीकरण करें, नागरिक के रूप में लॉगिन करें और आवेदन जमा करें। मदद के लिए +91 471 2306040 पर फोन करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/Citizen_Platform/suneethi/criteria.php#collapseTwentythree
आधिकारिक आवेदन: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/Citizen_Platform/suneethi/index.php
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/kerala/kl-released-prisoners-self-employment-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।